...ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10 / 19 तारीखरजू:- 6.3.19

उनवान:– अब्दुल बनाम मोहम्मद गौरी वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 08/04/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 892 रकवा 0.16 है0, ख0न0 893 रकवा 0.13 है0 ग्राम किरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तिथि तक वादग्रस्त भूमि का वेस्ट डेमेज व निर्माण नही करने के आदेश दिए जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08/04/2019 को पेश हो। 780-92 6.3.19

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

8.4.19 प्रार्थी वकील उप0 अप्रार्थीगण ... श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने ... [illegible] प्रक्रिया/जवाब पेश करने समय चाहा ... [illegible] कार्य मे व्यस्त है। आईन्दा दिनांक 30.5.19 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
30.5.19	वकुलाय उप०। जबाब पेश करने समय चाहा। समय दिया गया। जबाब पेश करने दिनांक 24 6/19 को पेश हो।
24.6.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 17.7.19 को पेश हो।
17.7.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 6.8.19 को पेश हो।
6.8.19	वकुलाय उप०। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत किया। जबाब की प्रति वकील प्रार्थी ने प्राप्त की। वास्ते बहस दिनांक 29.8.19 को पेश हो।
29.8.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीटिंग मे कोर्ट पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 26.9.19 को पेश हो।
26.9.19	वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 4.10.19 को पेश हो।
4.10.19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम किरवाडा की भूमि ख.नं. 892/0.16, 893/0.13, 902/0.27 के सायलान हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है गैर सायलान का कोई हिस्सा [illegible] नही है गैरसायलान ने टीन [illegible] अतिक्रमण कर लिया है। [illegible] व [illegible] खातेदारान के मध्य बा[illegible] पर ख.नं. 892/0.16 893/0.13 सायलान के हिस्से में आया है अतः गैरसायलान को पाबन्द किया जावे कि सायलान

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

...ायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

के कब्जे काश्त की भूमि मे व्यवधान नहीं करे। गैरसायलान ने जबाब मे दर्ज किया है कि सायलान के बुजुर्ग वादान मुनीम बशीर द्वारा गैरसायलान के बुजुर्ग चिरंजी सम्पत पि० इमामी को दिनांक 13.11.78 को रुपये 5500/- में बेचान कर कब्जा करा दिया था। स्टाम्प पर लिखापढ़ी है। सायलान का अब उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है। सिविल न्यायालय में भी एक मुकदमा दीवानी मौहम्मद गौरी बनाम अब्दुल वगै० दावा बाबत स्पेसिफिक परफोर्मेन्स एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जिसमे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दिनांक 2.4.19 को पारित आदेश में रिकार्ड एवं मौका की स्थिति यथावत बनाये रखने के हैं। अत: यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। कथन किया कि सायलान खातेदार दर्ज है। 20x15 फीट भूमि पर गैरसायलान ने कब्जा किया है। अनरजिस्टर्ड स्टाम्प पर क्रय करना गैरसायलान ने बताया है इस आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं राजस्व न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कार्य कर रहा है, सिविल न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कार्य कर रहा है सायलान खातेदार है प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में है। अपूर्तनीय क्षति हो रही है इसलिए गैरसायलान को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द फरमाया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा[illegible]

दिनांक	फर्द अहकाम
	वकील गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि इनका दावा बेदखली का है। टी.आई. नहीं दी जा सकती है। खसरा नम्बर 892 व 893 को सायलान के बुजुर्गान द्वारा गैर सायलान के बुजुर्गान ~~[illegible]~~ को सम्वत् 2037 व 13.11.78 को अलग-अलग दो स्टाम्पों पर सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया है गैरसायलान का कब्जा है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।
	वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073-76 ग्राम किरवाड़ा के खाता संख्या 119 में वर्णित आराजीयात में सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है। गैरसायलान ने स्टाम्प के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात क्रय करना बताया है अधिकार मूल दावा के निस्तारण में तय होने की तब तक गैरसायलान को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाना उचित पाता हूँ।
	अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से दावा के निस्तारण होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम किरवाड़ा की [illegible] नम्बर 892/0.16 893/0.13 पर रिकार्ड एवं [illegible] बनाये रखें। पत्रावली फैसला [illegible] टीक (दावा) पत्रावली के [illegible]
	निर्णय आज दिनांक 4.10.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(दुर्गाप्रसाद मीना) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:59:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner